

अनुरूप आरोपित बाह्य शुल्क के मद में बाह्य विद्युतीकरण एवं बाह्य सीवरेज की मदें सम्मिलित नहीं हैं एवं इनका उत्तरदायित्व सम्बन्धित विकासकर्ता का ही होगा।

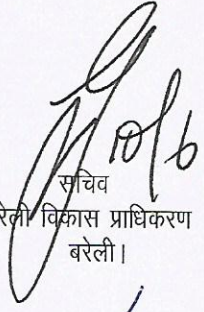
36- पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था आवेदक द्वारा स्वयं करायी जायेगी।

37- आवेदक द्वारा उपरोक्त शर्तों के साथ-साथ विभिन्न शासनादेशों के क्रम में अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

प्रतिलिपि संख्या-

तद्दिनांक:

1. जोन प्रभारी को स्वीकृत मानचित्र की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली।

सचिव
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली।